फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मिसरा बनाम सुरजी वगैरा

मुकदमा नम्बर : 130/48/2006

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	4/5/25	प.क. अन्य/ बहस सुविधार्थ/इकतरफा। पक्षकारान की सुनवाई हेतु पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/5/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ,जयपुर (ग्रामीण)	
	5/5/25	प.क. अन्य/ बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव के एवं पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखकर जारी किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के बाद तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूँ,जयपुर (ग्रामीण)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–130/146/06

उनवान

1. मिसरा पुत्र गुलाब (मृतक दौराने दावा)
   1/1 रोशन पुत्र मिसरा (मृतक दौराने दावा)
   1/1/1 आसम पुत्र स्व0 रोशन,
   1/1/2 इमामुद्दीन पुत्र स्व० रोशन,
   1/1/3 बबली पुत्री स्व० रोशन,
   1/1/4 मूबीया पुत्री स्व० रोशन,
   1/2 इब्राहिम पुत्र मिसरा,
   1/3 अजीम पुत्र मिसरा,
   1/4 रजाक पुत्र मिसरा,
   1/5 रईस पुत्र मिसरा

   समस्त जाति गढ़मूँगा, निवासी ग्राम म्हारकलां, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर। हाल निवासी बी–17, नीलगरों का मौहल्ला, पुरानी बस्ती, नाहरगढ़ किला के पास, जयपुर, जिला जयपुर।

– वादीगण –

<u>बनाम</u>

1. मु० सुन्दरी बैवा गुल्ला,
2. नारायण पुत्र स्व० गुल्ला,
3. सेडू पुत्र स्व० गुल्ला,
4. कल्याण पुत्र स्व० गुल्ला,
5. श्रवण पुत्र स्व0 गुल्ला,
6. रामकुंवार पुत्र स्व० गुल्ला,
7. भीवा पुत्र स्व0 गुल्ला,
8. अर्जुन पुत्र स्व0 गुल्ला,
9. फुलचन्द पुत्र आनन्दी लाल,
10. ग्यारसी बैवा बिरदाराम,
11. रामेश्वर पुत्र स्व० बिरदाराम,
12. लक्ष्मण पुत्र स्व० बिरदाराम,
13. बद्रीनारायण पुत्र स्व० बिरदाराम,

    समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कानपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

14. उप–पंजियक चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
16. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा [illegible] जरिये शाखा प्रबन्धक
17. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी [illegible]
18. श्रीमती राजू देवी पत्नी [illegible]
19. श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी कालूराम,
20. श्रीमती हंसा देवी पत्नी लालचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कानपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–05.05.2025

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि राजस्व ग्राम कानपुरा, पटवार क्षेत्र महारकला, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित भूमि पुराने खसरा नम्बर 399/1 (तीन सौ निन्यानवें बटा एक) रकबा 4 (चार) बीघा भूमि हैं, जिसके सेटलमेन्ट में बने नये खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1052 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 5 का कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि जागीदारी के समय वादी को माफी में जागीदारों द्वारा दी गई थी, जिसका इन्द्राज सम्वत् 2010 से 2023 खतौनी बन्दोबस्त में तत्समय से माफी मिसरा पुत्र गुलाब जाति गढ़मूंगा के नाम चली आ रही हैं जो भूमि वादी के स्वतंत्र खातेदारी व कब्जेदारी हक अधिकार की भूमि रही हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के पूर्वज गुल्ला, बिरदा पुत्रान श्यामा अहीर वादी की भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने की नियत से इश्तकरार हक का दावा किया, जिसकी निगरानी की नजरसानी राजस्व मण्डल अजमेर में वर्ष 1972 में विचाराधीन थी, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के पूर्वज गुल्ला व बिरदा ने बदनियति से वर्ष 1972 में एक फर्जी विकय पत्र अपने हक में तहसील आमेर में पंजियन कार्यालय में पंजिबद्ध करवा लिया। जिसमें विकय मुल्य 1500/– रूपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये अंकित किया गया हैं, जो विकय पत्र दिनांक 07–09–1972 को सम्पादन करवाया गया हैं। जिस विकय पत्र पर वादी के कोई हस्ताक्षर/दस्तखत नहीं हैं। ना ही वादी ने कोई प्रतिफल लिया तथा स्व० गुल्ला व बिरदा ने उक्त फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 15–07–1975 को खुलवा लिया, जो विकय पत्र व नामान्तकरण वादी के अधिकारों के प्रति कतई प्रभाव शुन्य हैं एवं निरस्त किये जाने योग्य हैं। स्व० गुल्ला, बिरदा की विरासत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के नाम से दर्ज हो गई हैं। जो हाल रिकार्ड में दर्ज हुई, लेकिन वादी के हक अधिकार व माफी की भूमि होने से हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के नाम दर्ज खातेदारी को निरस्त करते हुये वादी माफी मिसरा पुत्र गुलाब गढ़मूंगा के नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 उक्त फर्जी विक्रय पत्र व उसके आधार पर हुए इन्द्राजात के आधार पर वादी की भूमि को कब्जाने एवं बाहरी व्यक्तियों को बेचान, हस्तान्तरण करने की कुचेष्टा में है। जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के पूर्वज गुल्ला व बिरदा के हक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 07–09–1972 (सात सितम्बर उन्नीस सौ बेहत्तर) को उप–पंजियक आमेर के कार्यालय में वादी के बिना दस्तखत/हस्ताक्षर के हुए फर्जी विक्रय पत्र का जो पंजियन हुआ हैं, जो विक्रय पत्र वादी के विरूद्ध प्रारम्भ से ही प्रभावहीन व शुन्य हैं। वादी रोजी–रोटी कमाने के लिये बाहर रहने लग गया तथा वादी चूँकि अत्यन्त गरीब होने से व कानूनी जानकारी नहीं होने से उक्त विक्रय पत्र की वादी को कोई जानकारी नहीं हुई। हाल ही में दिसम्बर 2005 में वादी ने अपनी भूमि को सम्भाली तो प्रतिवादीगण ने ऐलानियां कहां कि हमारे पिता ने अपने नाम से करवा ली हैं, आप जानों सो करों। जिस पर वादी ने उक्त आराजी के बाबत पुराने दस्तावेजात की नकले प्राप्त की, लेकिन वादी की आर्थिक स्थिति खराब होने एवं 85 वर्ष का वृद्ध व असहाय होने के कारण कोई सिविल या फौजदारी कार्यवाही नहीं कर सका व गत 15 दिन पूर्व वादी अपनी जमीन में जाकर देखभाल करने लगा तो प्रतिवादीगण ने ऐलानियां धमकी दी हैं कि यदि वादी आईन्दा भूमि पर आया तो जान से खत्म करेगें। जिस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

वादीगण ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी बाबत बेदखली, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण डिग्री फरमाया जाकर विवादग्रस्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 399/1 रकबा 4 बीघा जिसके बने नये हाल खसरा नम्बर 1044, 1045, 1048, 1049, 1052 कुल किता 5 का कुल रकबा 1.01 हैक्टेयर स्थित वाके ग्राम कानपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर की भूमि के बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 के पूर्वज गुल्ला व बिरदा के हक में दिनांक 07–09–1972 (सात सितम्बर उन्नीस सौ बेहत्तर) को उप–पंजियक आमेर के कार्यालय में वादी के बिना दस्तखत /हस्ताक्षर के हुए फर्जी विक्रय पत्र का जो पंजियन हुआ हैं। जो विक्रय पत्र वादी के विरूद्ध निरस्त फरमाया जाकर वादी को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें तथा प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर वादी को कब्जा दिलवाया जावें। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिग्री फरमाया जाकर विवादग्रस्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 399/1 रकबा 4 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 1044, 1045, 1048, 1049, 1052 कुल किता 5 रकबा 1.01 हैक्टेयर स्थित वाके ग्राम कानपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर की भूमि के बाबत प्रतिवादीगण संख्या 11 लगायत 13 के द्वारा 1/2 हिस्सा की गलत खातेदारी के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 20 के हक में करवाये गये विक्रय पत्र दिनांक 28–06–2006 एवं इस विक्रय पत्र के आधार पर किये गये राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नामान्तकरण को वादी के हक अधिकारों के प्रति प्रारम्भसे ही प्रभाव शुन्य घोषित फरमाया जावें। प्रतिवादीगण को ज[illegible] निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 [illegible] खसरा नम्बर 399/1 रकबा 4 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 1044, 1045, 1048, 1049, 1052 कुल किता 5 रकबा 1.01 हैक्टेयर स्थित वाके ग्राम कानपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर की भूमि में ना तो प्रवेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible] (फास्ट ट्रेक)
चौमूँ जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

करें, ना ही फसल बा—जोत करने, सिंचाई आदि करने में कोई रूकावट करें, ना ही अन्य से करवाये व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 व 17 ता 20 उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को बेचान, हस्तान्तरण, रहन आदि नहीं करें, ना ही अन्य से करवाये व प्रतिवादी संख्या 14 उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड के आधार पर किसी प्रकार कस विलेख पत्र या विक्रय पत्र, बेचान, हस्तान्तरण, रहन आदि का पंजिबद्ध नहीं करें, ना ही अन्य से करवाये व प्रतिवादी संख्या 15 अदालत आदेश के बिना रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करें, ना ही अन्य से करवाये एवं प्रतिवादी संख्या 16 उक्त भूमि पर ऋण जारी नहीं करें, ना ही अन्य से करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 17 ता 20 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया की उक्त वाद में विक्रय पत्र दिनांक 07.09.1972 को निरस्ती की रिलीफ चाही गई है जिससे न्यायालय श्रीमान् का क्षेत्राधिकार नहीं है, विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में ही चैलेन्ज किया जा सकता है। वादी का कब्जा जागीरदारी रिज्यूमशन के समय के पूर्व से ही नहीं था वरन् जागीरदारी रिज्यूमशन के समय कब्जा गुल्ला व बिरदा का था तथा ना हीं कब्जा काश्त कभी वादी का उक्त भूमि पर रहा जिससे वादी का वाद मेन्टेनेबल नहीं है। विक्रय पत्र दिनांक 07.09.1972 स्वयं वादी ने प्रतिफल प्राप्त कर विक्रय पत्र स्वयं के हस्ताक्षरों से करवाया था जिसको 39 वर्ष हो गये है अगर फर्जी हस्ताक्षरों से विक्रय पत्र बना था तो बिरदा व गुल्ला के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया जाता ऐसी कोई कार्यवाही वादी द्वारा नहीं की गई। विक्रय पत्र 39 वर्ष पुराना है जिसको निरस्ती की कार्यवाही की रिलीफ चाही गई है तथा कब्जा साठ वर्ष पुराना है जिसके बेदखली की रिलीफ चाही है, जिससे दावा मयाद बाहर है। वादी ने काल्पनिक कहानी बनाकर वाद पत्र पेश किया है जिसके आधार पर किसी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर सम्पूर्ण दस्तावेजात शपथ पत्र प्रदर्श एवं की गई जिरह आदि का अवलोकन किया गया। वादीगण के नाम विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नहीं होकर प्रतिवादी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि 1972 में जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र पंजिबद्ध हुआ है जिसके विरुद्ध अनुतोष चाहा गया है। विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। वादी के द्वारा वाद 39 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, जो मियाद बाहर है। विवादित भूमि विक्रय पत्र के दिन से आज दिनांक तक [illegible] होना प्रतित होता है। ऐसे में उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में एवं पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ... (फास्ट ट्रेक)
चौमू, जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

अतः वादी का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में एवं पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रे0 / मुख्यालय) चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0)चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–130/146/06

उनवान

1. मिसरा पुत्र गुलाब (मृतक दौराने दावा)
   1/1 रोशन पुत्र मिसरा (मृतक दौराने दावा)
   1/1/1 आसम पुत्र स्व0 रोशन,
   1/1/2 इमामुद्दीन पुत्र स्व० रोशन,
   1/1/3 बबली पुत्री स्व० रोशन,
   1/1/4 मूबीया पुत्री स्व० रोशन,
   1/2 इब्राहिम पुत्र मिसरा,
   1/3 अजीम पुत्र मिसरा,
   1/4 रजाक पुत्र मिसरा,
   1/5 रईस पुत्र मिसरा
   समस्त जाति गढ़मूँगा, निवासी ग्राम म्हारकलां, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर। हाल निवासी बी–17. नीलगरों का मौहल्ला, पुरानी बस्ती, नाहरगढ़ किला के पास, जयपुर, जिला जयपुर।

– वादीगण –

बनाम

1. मु० सुन्दरी बैवा गुल्ला,
2. नारायण पुत्र स्व० गुल्ला,
3. सेडू पुत्र स्व० गुल्ला,
4. कल्याण पुत्र स्व० गुल्ला,
5. श्रवण पुत्र स्व0 गुल्ला,
6. रामकुंवार पुत्र स्व० गुल्ला,
7. भीवा पुत्र स्व0 गुल्ला,
8. अर्जुन पुत्र स्व0 गुल्ला,
9. फुलचन्द पुत्र आनन्दी लाल,
10. ग्यारसी बैवा बिरदाराम,
11. रामेश्वर पुत्र स्व० बिरदाराम,
12. लक्ष्मण पुत्र स्व० बिरदाराम,
13. बद्रीनारायण पुत्र स्व० बिरदाराम,
    समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कानपुरा, त[illegible] जिला जयपुर।
14. उप–पंजियक चौमूँ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
16. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा सामो[illegible] जरिये शाखा प्रबन्धक
17. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी भगवान सहाय,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

18. श्रीमती राजू देवी पत्नी भागीरथ,
19. श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी कालूराम,
20. श्रीमती हंसा देवी पत्नी लालचन्द
समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कानपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बेदखली, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–130/146/06

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीमिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी का वाद क्षेत्राधिकार के अभाव में एवं पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 05.05.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत mnj
सहायक कलक्टर (कास्ट ट्रेक)
ओहदा चौमूँ जयपुर (ग्रामीण)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	2
जोड़	3	जोड़	2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:54:18 IST
Reason: SelfAttested

mnj
सहायक कलक्टर (कास्ट ट्रेक)
चौमूँ जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner